[2019] 2 एस.सी.आर. 239

गिरीराज गर्ग

वि.

कोल इंडिया लि. एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 1695 2019)

फ़रवरी 15, 2019

[उदय उमेश ललित और इंदु मल्होत्रान्यायाधीशगण]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:

एस। 7(5) - मध्यस्थता खंड - संदर्भ द्वारा निगमन - 2007 योजना के खंड 11.12 के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करने में प्रतिवादी की विफलता, बिक्री आदेशों से संबंधित पक्षकारों के बीच विवाद के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन - द्वारा अस्वीकृति उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा कि 2007 योजना में निहित मध्यस्थता खंड को पक्षकारों के बीच दर्ज किए गए प्रत्येक बिक्री आदेश में संदर्भ द्वारा शामिल नहीं किया जा सकता है - अपील पर, माना गया: मध्यस्थता समझौते के रूप में होने की आवश्यकता नहीं है मूल अनुबंध में ही एक खंड - यह एक स्वतंत्र समझौता हो सकता है; या इसे या तो मूल समझौते के संदर्भ में, या मानक प्रपत्र अनुबंध के संदर्भ में शामिल किया जा सकता है - तथ्यों पर, 2007 में मध्यस्थता खंड 11.12 उसके तहत जारी बिक्री आदेशों में शामिल की गई है - खंड 11.12 में "उसके संबंध में" शब्द का उपयोग किया गया है जो इंगित करता है कि यह खण्ड बिक्री लेनदेन सहित 2007 योजना के तहत होने वाले सभी लेनदेन पर लागू होगा, इस प्रकार, एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत है, और खारिज कर दिया गया है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित किया: 1.1 किसी अन्य दस्तावेज़ या अनुबंध से मध्यस्थता खंड के संदर्भ द्वारा निगमन का सिद्धांत मध्यस्थता न्यायशास्त्र में एक अच्छी तरह से स्थापित

सिद्धांत है और इसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) में वैधानिक मान्यता दी गई है, 1996 अधिनियम की धारा 7(5) में कहा गया है कि अनुबंध में मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ का संदर्भ, एक वैध मध्यस्थता करार का गठन करता है, यदि अनुबंध लिखित रूप में है, और संदर्भ विशेष रूप से अनुबंध के एक भाग के रूप में मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए बनाया गया है। मध्यस्थता करार को आवश्यक रूप से मूल अनुबंध में एक खंड के रूप में होना जरूरी नहीं है। यह एक स्वतंत्र करार हो सकता है; या इसे मूल अनुबंध के संदर्भ में, या मानक प्रपत्र अनुबंध के संदर्भ में शामिल किया जा सकता है। [पैरा 4.1-4.3॥244-जी-एच, 245-ए-सी)

1.2 मौजूदा मामले में, एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश में गलती से यह विचार कर लिया कि प्रतिवादी संख्या 2-कोल कंपनी और अपीलकर्ता द्वारा दर्ज किए गए व्यक्तिगत बिक्री आदेशों में मध्यस्थता खंड शामिल नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत बिक्री आदेश 2007 योजना से निर्गत होते हैं। बिक्री आदेशों में विशेष रूप से कहा गया है कि वे कोयला कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों, कार्यालय आदेशों, नोटिसों, निर्देशों, प्रासंगिक कानून आदि द्वारा शासित होंगे। परिणामस्वरूप, 2007 योजना में मध्यस्थता खंड (यानी खंड 11.12) इसके तहत जारी बिक्री आदेशों में शामिल होंगे। बिक्री आदेशों में खंड 7 'एकल डी अनुबंध मामले' के अंतर्गत आता है जहां मध्यस्थता खंड एक मानक प्रपत्र दस्तावेज़ यानी 2007 योजना में निहित है, जिसका प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी व्यक्तिगत बिक्री आदेशों में एक संदर्भ है।

1.3 योजना के खंड 11.12 ई में प्रयुक्त "उसके संबंध में" शब्द इंगित करते हैं कि यह खंड 2007 योजना के तहत होने वाले सभी लेनदेन पर लागू होगा। हस्तगत मामले में बिक्री लेनदेन शामिल होंगे। एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत है और इसे खारिज कर दिया गया है।

1.4पक्षकारों ने 2007 की योजना के तहत अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की। उनकी नियुक्ति मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 जी (2015 संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित) की छठी अनुसूची के अनुसार किए गए प्रकटीकरण और घोषणा के

अधीन होगी।

एलिमेंटा एसए बनाम नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑप मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (1987) 1 एससीसी 615 [1987] 1 एससीआर 957; एम.आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लिमिटेड बनाम सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड (2009) 7 एससीसी 696 [2009] 10 एससीआर 373; आईनॉक्स विंड लिमिटेड बनाम थर्मोकेबल्स लिमिटेड (2018) 2 एससीसी 519 [2018] 1 एससीआर 86; रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और अन्य [1985]1 एससीआर 432; डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य। 1988 (36) ईएलटी 201 (एससी) - संदर्भित।

क्लेमेंट्स बनाम डेवोन कंट्री इंश्योरेंस कमेटी, [1918] 1 केबी 94; मैकलियोड रॉस एंड कंपनी लिमिटेड बनाम कॉम्पैनी डी' एश्योरेंस जनरल्स एल'हेल्वेटिया ऑफ सेंट गैल, [1952] 1 सभी ईआर 331, 334 [1952] 1 लॉयड्स प्रतिनिधि 12 (सीए); सी ट्रेड मैरीटाइम कॉर्पोरेशन बनाम हेलेनिक म्युचुअल वॉर रिस्क एसोसिएशन (बरमूडा) लिमिटेड, द एथेना [2006] ईडब्ल्यूएचसी 2530 (कॉम); हबास सिनाई वे तिब्बी गज़लर इस्थिसल एंड्स्ट्री एएस बनाम सोमेटल एसएएल [2010] ईडब्ल्यूएचसी 29 (कॉम); एसईए2011 इंक. बनाम आईसीटी लिमिटेड [2018] ईडब्ल्यूएचसी 520 (कॉम) - संदर्भित।

UNCITRAL मॉडल कानून क्षेत्राधिकार में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और सुलह, डॉ. पीटर बाइंडर तीसरा संस्करण, 2010, स्वीट और मैक्सवेल पृष्ठ 86, पैरा 2-022; रसेल 24वें संस्करण 2015 द्वारा मध्यस्थता, स्वीट एंड मैक्सवेल पीपी. 52-54, पैरा 2-049; पी. 82, पैरा 2-103 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[1987] 1 एससीआर 957	रैफर किया	पैरा 4.8
[2009] 10 एससीआर 373	रैफर किया	पैरा 4.9
[2018] 1 एससीआर 86	रैफर किया	पैरा 4.10
[1985] 1 एससीआर 432	रैफर किया	पैरा 5.1
1988 (36) ईएलटी 201 (एससी)	रैफर किया	पैरा 5.1

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1695/2019

झारखण्ड व रांची उच्च न्यायालय के आबिट्रेशन आवेदन संख्या 11/2006 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 21/18.05.2018 में डा॔केदारनाथ त्रिपाठी, बी.बी. प्रधान, सुसंता केआर. मुडुती, एम.ए. अलीम माजिद सलाहकार में अपीलकर्ता के लिए।

अनुपम लाल दास, अनिरुद्ध सिंह, कृष्णु बरुआ, अधिवक्ता। के लिए उत्तरदाताओं.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

इंदु मल्होत्रा द्वारा अपील स्वीकार

1. वर्तमान सिविल अपील रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2016 के मध्यस्थता आवेदन संख्या 11 में पारित आदेश दिनांक 21/18.05.2018 से उत्पन्न हुई है। अपीलकर्ता ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद इसे "1996 अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 11(6) के तहत एक आवेदन दायर किया।

2. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक आव्यूह, संक्षेप में बताया गया है, इस प्रकार है:

2.1. प्रतिवादी नंबर 1 ने 2007 की योजना जारी की, जिसके तहत, कोयला वितरण ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा, ताकि उन खरीदारों को कोयले तक पहुंच प्रदान की जा सके, जो उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से कोयला प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। यह प्रणाली सभी इच्छुक खरीदारों को एकल-खिड़की सेवा के माध्यम से कोयला खरीदने का समान अवसर प्रदान करेगी, और कोयला खरीदारों के सभी वर्गों के लिए ऑनलाइन कोयला बुकिंग की देशव्यापी पहुंच सुविधा प्रदान करेगी। एक सरल, पारदर्शी प्रणाली. 2007 योजना के खंड 11.12 में एक मध्यस्थता खंड शामिल है जो निम्नानुसार है -

"11.12 किसी भी विवाद की स्थिति में, बोली लगाने वाले खरीदार को बंधित

कोयला कंपनी के महाप्रबंधक (बिक्री और विपणन) को लिखित रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो इस तरह के प्रतिनिधित्व से 1 महीने की अवधि में इसका निपटारा करेगा। इसके बाद , यदि आवश्यक हो तो मामला संबंधित कोयला कंपनी के विपणन निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस खंड की कोई भी व्याख्या सीआईएल द्वारा स्पष्टीकरण के अधीन होगी, जिसे दृढ़ और अंतिम माना जाएगा। इस योजना से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में किसी भी रूप में होने वाले सभी विवादों को मध्यस्थता आैर सुलह अधिनयम, 1996 के संदर्भ में विशेष रूप से मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जाएगा। मध्यस्थता सीआईएल द्वारा अधिसूचित स्थान पर कोलकाता में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में लिखित अनुरोध पर मध्यस्थ की नियुक्ति सीआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा की जाएगी। मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। (मध्यस्थता का स्थान और मध्यस्थ का नामांकन शामिल कोयला कंपनी को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से भिन्न होना चाहिए)।
(जोर दिया गया)

2.2 2012 से 2015 तक, अपीलकर्ता ने, 2007 योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार एक पंजीकृत खरीदार होने के नाते, 2007 योजना के तहत जारी कई बिक्री आदेशों के लिए कोयले की खरीद के लिए ई-नीलामी में भाग लिया।

2.3. अपीलकर्ता को विभिन्न कोयला आदेशों के संबंध में सफल घोषित किया गया था। अपीलकर्ता के पक्ष में बिक्री आदेश जारी किए गए, जिसके अनुसार उसने क्रमशः 2007 योजना के खंड 2.5 और 5.2 के अनुसार बयाना राशि जमा/अरेस्ट मनी डिपोजिट (इसके बाद "ईडीएम" के रूप में संदर्भित) और कोयला मूल्य जमा किया।

2.4. 2007 योजना के खंड 7.2 के अनुसार, कोयला उठाने के लिए अपीलकर्ता को डिलीवरी ऑर्डर जारी होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि की अनुमति दी गई थी। अपीलकर्ता कुछ कारणों से कोयले की बुक की गई मात्रा को उठाने में असमर्थ था।

2.5. प्रतिवादी नंबर 1 ने इसे 2007 योजना के नियमों और शर्तों का उल्लंघन माना, और 2007 योजना के खंड 9.2 के तहत अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई ईएमडी जब्त कर ली।

2.6. परिणामस्वरूप, पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। अपीलकर्ता ने 2007

जना के तहत मध्यस्थता खंड 11.12 को लागू करते हुए दिनांक 21.03.2016 को एक नोटिस दिया। प्रतिवादी 2007 योजना के खंड 11.12 के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहे।

2.7. इसलिए अपीलकर्ता एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए राँची में झारगण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 11 के तहत आवेदन दायर करने के लिए विवश था।

2.8 विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 21/18.05.2018 के आदेश के तहत आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि विवाद 2007 योजना के तहत पक्षकारों के बीच किए गए विभिन्न लेनदेन से संबंधित हैं। बिक्री आदेशों में मध्यस्थता खंड शामिल नहीं था। यह माना गया कि भले ही 2007 योजना में मध्यस्थता खंड शामिल है, कोई भी व्यक्तिगत बिक्री आदेश बिक्री आदेशों पर 2007 योजना के नियमों और शर्तों की प्रयोज्यता का संदर्भ नहीं देता है। इसलिए, मध्यस्थता खंड को संदर्भ द्वारा शामिल नहीं किया जा सका।

3. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने दायर किया है वर्तमान अपील.

हमने विद्वान परामर्शदाता डॉ. केदार नाथ त्रिपाठी, श्री बी.बी. प्रधान, श्री सुशांत क्र. को सुना है। मुदुति, और अपीलकर्ताओं के लिए श्री एम. ए. अलीम माजिद और प्रतिवादियों के लिए श्री अनुपम लाल दास, श्री अनिरुद्ध सिंह और श्री कृष्णु बरुआ और अभिलेख के दस्तावेजों का अवलोकन किया।

3.1. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी बिक्री आदेश की एक प्रति हमारे ध्यान में लाई गई, जिसके अंत में मानक नियम और शर्तें शामिल हैं। नियम और शर्तों के खंड 7 में कहा गया है कि बिक्री आदेश कोल इंडिया लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड आदि द्वारा जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों, नोटिस और निर्देशों द्वारा शासित होंगे।

खंड 7 यहां तत्काल संदर्भ के लिए दिया गया है - "7. बिक्री आदेश कोल इंडिया लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों - परिपत्रों - कार्यालय आदेशों - नोटिस निर्देशों, प्रासंगिक कानून आदि द्वारा शासित होगा। , राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और अन्य वैधानिक निकाय। यह भविष्य में कीमतों और या लेवी या

शुल्क-कर आदि में किसी भी वृद्धि के अधीन है जो समय-समय पर लगाया जा सकता है।"

(जोर दिया गया)

4. इस न्यायालय के समक्ष संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या 2007 योजना में निहित मध्यस्थता खंड, प्रत्येक बिक्री आदेश में संदर्भ द्वारा शामिल किया जाएगा।

4.1. किसी अन्य दस्तावेज़ या अनुबंध से मध्यस्थता खंड के संदर्भ द्वारा निगमन का सिद्धांत मध्यस्थता न्यायशास्त्र में एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है। 1 भारत में न्यायालयों द्वारा इस सिद्धांत का पालन किया गया है, और 1996 अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) में इसे वैधानिक मान्यता दी गई है।

4.2. धारा 7(5) में कहा गया है कि अनुबंध में मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ का संदर्भ, एक वैध मध्यस्थता करार का गठन करता है, यदि अनुबंध लिखित रूप में है, और संदर्भ विशेष रूप से अनुबंध के एक भाग के रूप में मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए बनाया गया है। .

4.3. जरूरी नहीं कि मध्यस्थता करार मूल अनुबंध में ही एक खंड के रूप में हो। यह एक स्वतंत्र करार हो सकता है; या इसे मूल अनुबंध के संदर्भ में, या मानक प्रपत्र अनुबंध के संदर्भ में शामिल किया जा सकता है।

4.4. 1996 अधिनियम की धारा 7(5), UNCITRAL मॉडल कानून के अनुच्छेद 7(2) की बारीकी से नकल करती है क्योंकि यह 2006 के संशोधन से पहले थी। डॉ. पीटर बाइंडर ने "यूसीआईटीआरएएल मॉडल कानून क्षेत्राधिकार में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और सुलह" शीर्षक से अपनी टिप्पणी में निम्नलिखित शब्दों में संदर्भ द्वारा निगमन को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 7(2) की व्याख्या की है:

----------"(डी) एक दस्तावेज़ का संदर्भ जिसमें एक मध्यस्थता खंड।----------

[1]क्लेमेंट्स बनाम डेवोन कंट्री इंश्योरेंस कमेटी, [1918] 1 केबी 94; मैकलियोड रॉस एंड कंपनी लिमिटेड बनाम कॉम्पैनी डी'एश्योरेंस जनरल्स एल'हेल्वेटिया ऑफ सेंट गैल, [1952] 1 सभी ईआर 331, 334 [1952] 1 लॉयड्स प्रतिनिधि 12 (सीए)।

'अनुच्छेद'। 7. मध्यस्थता समझौते की परिभाषा एवं रूप.

माध्यस्थम करार-(1) इस भाग में "माध्यस्थम करार" से पक्षकारों द्वारा एेसे सभी या

कतिपय विवाद माध्यस्थम के लिए, निवेदित करने के लिए किया गया करार अभिप्रत है जो परिश्चित विधिक संबंध, चाहे संविदात्मक हो या न हो, की बाबत उनके बीच उदभूत हुए हों या हो सकते हों।

(2) माध्यस्थम करार, किस संविदा में माध्यस्थम खण्ड के रूप में या किसी पृथक करार के रूप में हो सकता है।

(3) माध्यस्थम करार लिखित रूप में होगा।

(4) माध्यस्थम करार लिखित रूप में है यदि वह,-

(क) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किसी दस्तावेजें में; (ख) पत्रों के आदान-प्रदान, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के एेसे अन्य साधनों में, जो करार के अभिलेख की व्यवस्था करते हैं, या

(ग) दावे आैर प्रतिरक्षा के कथनों के आदान-प्रदान में, जिनमें करार की विद्यमानता का एक पक्षकार द्वारा अभिकथन किया गया है आैर दूसरे पक्षकार द्वारा उससे इंकार नहीं किया गया है,

(5) माध्यस्थम खण्ड वाले किसी दस्तावेज के प्रति किसी संविदा में निर्देश, माध्यस्थम करार का गठन करेगा यदि संविदा लिखित रूप में है आैर निर्देश एेसा है जो उस माध्यस्थम खण्ड को संविदा का भाग बनाता है।

डॉ. पीटर बाइंडर, UNCITRAL एच में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और सुलह मॉडल कानून क्षेत्राधिकार, (3 संस्करण, 2010, स्वीट और मैक्सवेल) पृष्ठ 86, पैरा 2-022

अनुच्छेद 7(2) का तीसरा वाक्य. एक अनुबंध से संबंधित है जिसमें एक दस्तावेज़ का संदर्भ होता है जिसमें मध्यस्थता खंड होता है। बशर्ते कि मुख्य अनुबंध "लिखित" हो और संदर्भ "ऐसा हो जो उस खंड को अनुबंध का हिस्सा बना दे" तो मध्यस्थता करार वैध है। इस प्रावधान को शामिल करने की आवश्यकता न्यूयॉर्क कन्वेंशन के संदर्भ में इस मुद्दे पर समस्याओं और भिन्न-भिन्न अदालती फैसलों के कारण उत्पन्न हुई। ट्रैवॉक्स स्पष्ट करता है कि यदि संदर्भ केवल दस्तावेज़ को संदर्भित करता है तो यह पर्याप्त है; उसमें मध्यस्थता खंड का विशिष्ट उल्लेख आवश्यक नहीं है।"

(जोर दिया गया)

4.5. अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 6(2), 1996 अधिनियम की

धारा 7(5) के समान है, और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है: "6. मध्यस्थता करार की परिभाषा।

(1)...

(2) किसी समझौते में मध्यस्थता खंड के लिखित रूप या मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ का संदर्भ एक मध्यस्थता करार का गठन करता है यदि संदर्भ ऐसा है कि उस खंड को करार का हिस्सा बनाया जाए।" क्वीन्स बेंच डिवीजन, वाणिज्यिक न्यायालय सी ट्रेड मैरीटाइम कॉर्पोरेशन बनाम हेलेनिक म्युचुअल वॉर रिस्क एसोसिएशन (बरमूडा) लिमिटेड में, एथेना [4] ने माना कि एक मानक फॉर्म अनुबंध को शामिल करने के सामान्य शब्द एक मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए पर्याप्त थे।

4.6. पहले के अनुबंध से मध्यस्थता खंड को सामान्य संदर्भ द्वारा बाद के अनुबंध में शामिल करने का प्रश्न, हबास सिनाई वे तिब्बी गज़लर इस्थिसल एंड्स्ट्री एएस बनाम सोमेटल एसएएल [5] मामले में क्वीन्स बेंच डिवीजन के समक्ष विचार के लिए आया था। इस मामले में, न्यायालय ने सी ट्रेड मैरीटाइम कॉरपोरेशन (सुप्रा) के मामले में फैसले का पालन किया, और माना कि मध्यस्थता खंड वाले अनुबंध का एक सामान्य संदर्भ अनुबंध के मानक रूप से शामिल करने के लिए पर्याप्त है। न्यायालय ने निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों को मान्यता दी जिसमें पक्षकार मध्यस्थता खंड को शामिल करने का प्रयास करते हैं:

"(1) ए और बी एक अनुबंध बनाते हैं जिसमें वे मानक शर्तों को शामिल करते हैं। ये एक प्रस्ताव पत्र या आदेश के पीछे निर्धारित एक पक्ष की मानक शर्तें हो सकती हैं, या किसी अन्य दस्तावेज़ में निहित हो सकती हैं जिसका संदर्भ दिया गया है; या किसी संगठन के नियमों में सन्निहित शर्तें होती है, जिसके ए या बी या दोनों सदस्य हैं या वे किसी विशेष व्यापार या उद्योग में मानक हो सकते हैं।

(2) ए और बी एक संविदा करते हैं जिसमें पहले के अनुबंध की सहमत शर्तों का समावेश करते है जिसके वे दोनों पक्ष थे।

(3) ए और बी एक संविदा करते हैं जिसमें ए आैर सी या बी आैर सी के बीच सहमत शर्तों को शामिल किया जाता है। सामान्य उदाहरण एक चार्टर की शर्तों को

शामिल करने वाला एक बिल है जिसमें ए एक पार्टी है; अंतर्निहित बीमा की शर्तों को शामिल करने वाले पुनर्बीमा अनुबंध; बीमा की प्राथमिक परत की शर्तों को शामिल करने वाले अतिरिक्त बीमा अनुबंध; और भवन या इंजीनियरिंग उप अनुबंध जिसमें मुख्य अनुबंध की शर्तें शामिल हैं या उप-उप अनुबंध जिसमें उप अनुबंध की शर्तें शामिल हैं।

(4) ए और बी सी और डी के बीच सहमत शर्तों को शामिल करते हुए एक अनुबंध बनाते हैं। पुनर्बीमा और बीमा अनुबंध और निर्माण अनुबंध इस श्रेणी में आ सकते हैं।

" हाबास (सुप्रा) में 'एकल अनुबंध मामले' और 'दो-अनुबंध मामले' के बीच एक अंतर किया गया था। एक 'एकल अनुबंध मामला' वह होता है जहां मध्यस्थता खंड अनुबंध के एक मानक रूप में निहित होता है, जिसमें पार्टियों के बीच अनुबंध में एक सामान्य संदर्भ होता है। दूसरी ओर, जहां मध्यस्थता खंड पूर्व अनुबंध/किसी अन्य अनुबंध में निहित होता है, और इसे पक्षकारों के बीच अनुबंध में शामिल करने का संदर्भ दिया जाता है। यह 'दो-अनुबंध मामला' है। न्यायालय ने माना कि एकल अनुबंध मामले में सामान्य संदर्भ द्वारा शामिल करना वैध है। हालांकि, 'दो-अनुबंध मामले' में, जहां एक अलग अनुबंध में मध्यस्थता खंड का संदर्भ दिया जाता है वहां, संदर्भ मध्यस्थता खण्ड के लिए विशिष्ट होना चाहिए। हबास (सुप्रा) के फैसले की हाल ही में एसईए2011 इंक बनाम आईसीटी लिमिटेड[6] में क्वीन्स बेंच डिवीजन द्वारा पुष्टि की गई है।

4.7.रसेल ने मध्यस्थता पर अपनी टिप्पणी में निम्नलिखित परिच्छेद में एकल और दो अनुबंध मामलों और मानक फॉर्म शर्तों के संदर्भ पर टिप्पणी की है, जो शिक्षाप्रद है:

"मानक फॉर्म शर्तों, एकल और दो अनुबंध मामलों का संदर्भ; यदि शामिल किए जाने वाला दस्तावेज़ प्रकार नियमों और शर्तों का एक मानक रूप है, तो अदालतें यह स्वीकार करने की अधिक संभावना रखती हैं कि निगमन के सामान्य शब्द पर्याप्त होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टियों से मध्यस्थता खंड सहित उन मानक शर्तों से अधिक परिचित होने की उम्मीद की जा सकती है। सी ट्रेड मैरीटाइम कॉर्पोरेशन बनाम हेलेनिक म्युचुअल वॉर रिस्क एसोसिएशन (बरमूडा) लिमिटेड, ("एथेना") नंबर 2 में न्यायालय ने जिसे "दो अनुबंध मामले" के रूप में वर्णित किया गया है, उसके बीच एक अंतर निकाला है, यानी जहां मध्यस्थता खंड एक माध्यमिक दस्तावेज़ में निहित है जो एक अनुबंध है जिसमें कम से

कम एक पक्ष संबंधित अनुबंध के पक्षों से अलग है, और "एकल अनुबंध मामला" जहां मध्यस्थता खंड किसी अन्य दस्तावेज़ में पाए जाने वाले मानक शब्दों में है। फेडरल बल्क कैरीज़ इंक बनाम सी. इटोह एंड कंपनी लिमिटेड ("फेडरल बल्कर") में बिंघम एलजे के आदेश पर भरोसा करते हुए, लैंगली जे ने कहा कि: "सैद्धांतिक रूप से, अंग्रेजी कानून सामान्य शब्दों के उपयोग द्वारा मानक शर्तों को शामिल करने को स्वीकार करता है और, मैं जोड़ना चाहूंगा, खासकर तब जब शर्तें आसानी से उपलब्ध हों और प्रश्न एक प्रसिद्ध बाजार में स्थापित खिलाड़ियों के बीच लेनदेन के संदर्भ में उठता हो। जैसा कि सिद्धांत स्पष्ट करता है, सिद्धांत उस शब्द के बीच अंतर नहीं करता है जो एक मध्यस्थता खंड है और जो अन्य मुद्दों को संबोधित करता है। इसके विपरीत, और इसी कारण से कि यह अन्य पक्षकारों से संबंधित है, चार्टरपार्टी/ लोडिंग के बिलों के मामलों में "कठोर नियम" लागू किया जाता है। कारण यह दिया गया है, कि दूसरे पक्ष को प्रासंगिक शर्तों के बारे में न तो कोई ज्ञान है और न ही ज्ञान का कोई तैयार साधन हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है, मध्यस्थता खंड की शर्तों को समायोजन की आवश्यकता हो सकती है यदि उन्हें एक अलग अनुबंध के पक्षों पर लागू किया जाना है।" इसलिए न्यायालय ने मानक फॉर्म शर्तों और एक अलग अनुबंध की शर्तों के संदर्भ में निगमन के बीच अंतर को मजबूत किया, और निष्कर्ष निकाला कि एक एकल अनुबंध मामले में निगमन के सामान्य शब्द पर्याप्त हैं, जबकि इसकी प्रकृति से दो अनुबंध मामले में दूसरे अनुबंध के लिए विशिष्ट संदर्भ की आवश्यकता हो सकती है, जब तक कि द्वितीयक दस्तावेज़ को मध्यस्थता समझौते वाले मानक प्रपत्र शर्तों पर आधारित न बताया जाए। उस स्थिति में, संभवतः मध्यस्थता खंड के विशिष्ट संदर्भ की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि नीचे चर्चा की गई है, इस दृष्टिकोण को बाद के मामलों में समर्थन दिया गया है, हालांकि समान पक्षों के बीच किए गए एक अलग अनुबंध - मानक या अन्यथा - की शर्तों को शामिल करने के बीच थोड़ा अलग लेकिन "भौतिक" अंतर दर्शाया गया है, जिन्हें "एकल अनुबंध" के रूप में माना जाता है। ऐसे मामले, जहां वास्तव में एक से अधिक अनुबंध हों; और जहां शामिल की जाने वाली शर्तें एक या अधिक विभिन्न पक्षों के बीच अनुबंध में निहित होती हैं, उन्हें "दो अनुबंध" मामलों के रूप में माना जाता है।

एकल अनुबंध मामलों का विस्तारः-ऐसा प्रतीत होता है कि हाल ही में अदालतों

ने मानक प्रपत्र अनुबंधों पर लागू "एकल अनुबंध" सिद्धांत को बढ़ाया है, जहां निगमन के सामान्य शब्द अन्य प्रकार के अनुबंधों के लिए पर्याप्त होंगे, वहां समान तर्क को लागू करने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रकार, यदि शामिल किया जाने वाला दस्तावेज़ समान पक्षों के बीच एक विशिष्ट अनुबंध है, तो अदालतों ने इसे "एकल अनुबंध" मामले के रूप में स्वीकार किया है, जहां निगमन के सामान्य शब्द पर्याप्त होंगे, भले ही अन्य अनुबंध मानक शर्तों पर नहीं है और बनता है एक पूरी तरह से अलग समझौता. इस दृष्टिकोण के लिए तर्क यह है कि पक्षकार पहले से ही शामिल की गई शर्तों पर अनुबंध कर चुके हैं और इसलिए किसी मानक शब्द को शामिल करने का विरोध करने वाले पक्ष की तुलना में उनके उस शब्द से परिचित होने की अधिक संभावना है। दूसरे तरीके से, यदि निगमन के सामान्य शब्द बाद वाले के लिए पर्याप्त हैं, तो उन्हें पहले वाले के लिए और भी पर्याप्त होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि अदालतों ने "एकल अनुबंध" मामले के रूप में ऐसी स्थिति को स्वीकार कर लिया है, जहां संदर्भित अनुबंध मूल अनुबंध के पक्षों में से एक और तीसरे पक्ष के बीच है, जहां संपूर्ण अनुबंध "के संदर्भ में दर्ज किए गए थे" एकल व्यावसायिक संबंध।"

4.8. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (इसके बाद "1940 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत संदर्भ द्वारा निगमन के सिद्धांत पर भारतीय मध्यस्थता में एक प्रारंभिक मामला एलिमेंटा एसए बनाम नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑप मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड था। 1940 के अधिनियम में संदर्भ द्वारा निगमन के सिद्धांत पर आधारित मध्यस्थता समझौते पर कोई विशेष प्रावधान नहीं है, इस न्यायालय ने इसे भारतीय कानून में लागू माना है। इस मामले में, इस न्यायालय ने माना कि पहले के अनुबंध के मध्यस्थता खंड को बाद के अनुबंध में संदर्भ द्वारा शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि यह उस अनुबंध की शर्तों के प्रतिकूल या असंगत न हो जिसमें इसे शामिल किया गया है।

4.9. 1996 के अधिनियम में, संदर्भ द्वारा निगमन का सिद्धांत अधिनियम की धारा 7(5) के तहत कानून में ही प्रदान किया गया है। एम.आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लिमिटेड बनाम सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड [9], इस न्यायालय ने माना कि भले ही पार्टियों के बीच अनुबंध में मध्यस्थता का प्रावधान नहीं है और एक स्वतंत्र दस्तावेज़ में निहित मध्यस्थता खंड को संदर्भ द्वारा अनुबंध में शामिल किया जाएगा, यदि संदर्भ ऐसा है कि

मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बनाया जा सकता है। न्यायालय ने निगमन के सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में समझाया-

"24. धारा 7(5) का दायरा और आशय इस प्रकार संक्षेप किया जा सकता है:-

(i) किसी अन्य दस्तावेज़ में एक मध्यस्थता खंड, संदर्भ द्वारा अनुबंध में शामिल किया जाएगा, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

(1) अनुबंध में मध्यस्थता खण्ड वाले दस्तावेजों का स्पष्ट संदर्भ होना चाहिए।

(2) अन्य दस्तावेज़ के संदर्भ में अनुबंध में मध्यस्थता खण्ड को शामिल करने का आशय स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए।

(3) मध्यस्थता खंड उचित होना चाहिए, अर्थात के अंतर्गत विवादों के संबंध में लागू होने में सक्षम हो आैर अनुबंध और इसकी किसी भी शर्त के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए।

(ii) जब पार्टियां किसी अन्य अनुबंध का सामान्य संदर्भ देते हुए अनुबंध में प्रवेश करती हैं, तो ऐसे सामान्य संदर्भ का पार्टियों के बीच अनुबंध में संदर्भित दस्तावेज़ से मध्यस्थता खंड को शामिल करने का प्रभाव नहीं होगा। किसी अन्य अनुबंध से मध्यस्थता खंड को केवल मध्यस्थता खंड के एक विशिष्ट संदर्भ द्वारा (जहां ऐसा संदर्भ बनाया गया है) अनुबंध में शामिल किया जा सकता है।

(iii) जहां पार्टियों के बीच एक अनुबंध यह प्रावधान करता है कि उस अनुबंध का निष्पादन या प्रदर्शन किसी अन्य अनुबंध के संदर्भ में होगा (जिसमें अनुपालन से संबंधित नियम और शर्तें और मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटारे का प्रावधान शामिल है), तो, शर्तें केवल निष्पादन/ अनुपालन के संबंध में संदर्भित अनुबंध ही लागू होगा, न कि संदर्भित अनुबंध में मध्यस्थता समझौता, जब तक कि मध्यस्थता खंड का भी विशेष संदर्भ न हो।

(iv) जहां अनुबंध यह प्रदान करता है कि एक स्वतंत्र व्यापार या व्यावसायिक संस्थान के नियमों और शर्तों का मानक रूप (उदाहरण के लिए ट्रेड एसोसिएशन या आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के मानक नियम और शर्तें) उन्हें बाध्य करेगा या अनुबंध पर लागू होगा, ऐसे मानक ऐसे मानक नियमों और शर्तों में मध्यस्थता के लिए किसी भी

प्रावधान सहित नियम और शर्तों के प्रारूप को संदर्भ द्वारा शामिल माना जाएगा। कभी-कभी अनुबंध यह भी कह सकता है कि पक्ष उन नियमों और शर्तों से परिचित हैं या पार्टियों ने उक्त नियम और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है।

(v) जहां पार्टियों के बीच अनुबंध यह निर्धारित करता है कि अनुबंध के पक्षों में से एक के अनुबंध की शर्तें उनके अनुबंध का एक हिस्सा बनेंगी (उदाहरण के लिए सरकार के अनुबंध की सामान्य शर्तें जहां सरकार एक पार्टी है), तो अनुबंध की ऐसी सामान्य शर्तों का हिस्सा बनने वाला मध्यस्थता खंड पार्टियों के बीच अनुबंध पर लागू होगा।
(जोर दिया गया)

4.10. आईनॉक्स विंड लिमिटेड बनाम थर्मोकेबल्स लिमिटेड में इस न्यायालय ने हाबास (सुप्रा) द्वारा निर्धारित 'एकल अनुबंध मामले' और 'दो-अनुबंध मामले' सिद्धांत को अपनाते हुए माना कि मध्यस्थता खण्ड को शामिल करने के लिए सहमति मानक फॉर्म का सामान्य संदर्भ निगमन के लिए पर्याप्त है। दूसरे शब्दों में, एक पक्ष के मानक प्रपत्र अनुबंध का सामान्य संदर्भ, मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए पर्याप्त होगा। इस मामले में, न्यायालय ने यह मानते हुए इस सिद्धांत के अनुप्रयोग का विस्तार किया कि व्यापार संघों और पेशेवर निकायों के साथ-साथ एक पक्ष के मानक प्रपत्र अनुबंध का एक सामान्य संदर्भ भी मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए पर्याप्त होगा।

5. मौजूदा मामले में, आक्षेपित आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश ने गलती से यह विचार कर लिया है कि प्रतिवादी संख्या 2 - कोयला कंपनी और अपीलकर्ता द्वारा दर्ज किए गए व्यक्तिगत बिक्री आदेशों में मध्यस्थता खंड शामिल नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत डी बिक्री आदेश 2007 योजना से निकलते हैं। बिक्री आदेशों में विशेष रूप से कहा गया है कि वे कोल इंडिया लिमिटेड या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड आदि द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों, कार्यालय आदेशों, नोटिसों, निर्देशों, प्रासंगिक कानून आदि द्वारा शासित होंगे। परिणामस्वरूप, मध्यस्थता खंड (अर्थात खंड 11.12) 2007 की योजना में उसके तहत जारी बिक्री आदेशों में शामिल किया जाएगा।

बिक्री आदेशों में ई खंड 7 'एकल अनुबंध मामले' के अंतर्गत आता है जहां मध्यस्थता खंड एक मानक प्रपत्र दस्तावेज़ यानी 2007 योजना में निहित है, जिसका प्रतिवादी संख्या 2-द द्वारा जारी किए गए व्यक्तिगत बिक्री आदेशों में एक संदर्भ है। 5.1.

2007 योजना में मध्यस्थता खंड स्पष्ट रूप से कहता है कि: "इस योजना से उत्पन्न होने वाले या किसी भी रूप में इसके संबंध में सभी विवादों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के संदर्भ में विशेष रूप से मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जाएगा।"

(जोर दिया गया)

रसेल ने मध्यस्थता पर अपनी टिप्पणी में इन शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की है:

"विवाद "के सिलसिले में", "के संदर्भ में", या के बारे में अनुबंध से संबंधित है, के संबंध में। ये शब्द, जो अक्सर सामने आते उन्हें एक ही अर्थ दिया जाना चाहिए, एक बार एक प्रतिबंधित व्याख्या दी गई थी, लेकिन अब व्यापक अर्थ के रूप में अच्छी तरह से स्थापित हो गए हैं... वे मध्यस्थता खंड वाले अनुबंध से संबंधित किसी अन्य अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए भी पर्याप्त हो सकते हैं।"

(जोर दिया गया)

रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और अन्य में, इस न्यायालय ने देखा कि अभिव्यक्तियाँ जैसे "स्थिति से उत्पन्न होना", या "के संबंध में", या "के सिलसिले में", या "के संदर्भ में", अनुबंध सबसे व्यापक आयाम और सामग्री के हैं।

डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य,[11] इस न्यायालय ने देखा कि अभिव्यक्तियाँ जैसे - " से संबंधित", "के संदर्भ में" और "स्थिति से उत्पन्न", व्यापक अर्थ में उपयोग की जाती हैं, और तदनुसार समझा जाना चाहिए।

2007 योजना के खंड 11.12 में "उसके संदर्भ में" शब्द का प्रयोग किया गया है 2007 योजना के तहत होने वाले सभी लेनदेन पर लागू होगा। यह वर्तमान मामले में बिक्री लेनदेन में भी शामिल होगा।

5.2. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत है, और इसे रद्द किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है.

6. सुनवाई के समापन पर, पक्ष सर्वसम्मति से श्री न्यायमूर्ति प्रणब कुमार चट्टोपाध्याय (कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश; पता: पी-29/3, जोतीश रॉय रोड, कोलकाता-700053) को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने पर सहमत हुए। जो

2007 योजना के तहत अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच उत्पन्न हुए विवादों का निपटारा करें।

श्री न्यायमूर्ति चट्टोपाध्याय की नियुक्ति मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (2015 संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित) की छठी अनुसूची के अनुसार किए गए प्रकटीकरण और घोषणा के अधीन होगी।

कार्यवाही कोलकाता में आयोजित की जाएगी। तदनुसार आदेश दिया गया।

निधि जैन **अपील स्वीकार.**

#[1985] आईएससीआर432

1988 (36) ईएलटी 201 (एससी)

[4][2006] ईडब्ल्यूएचसी 2530 (कॉम)

[5][2010] ईडब्ल्यूएचसी 29 (कॉम)

[2018] ईडब्ल्यूएचसी 520 (कॉम)

रसेल ऑन आर्बिट्रेशन (24 संस्करण 2015, स्वीट एंड मैक्सवेल) पीपी 52-54, पैरा 2-049

***(1987) आई एससीसी 615: एआईआर 1987 एससी 643: 84 (2000) डीएलटी 494।**

***(2009) 7 एससीसी 696: 2009 (3) एआरबी एलआर 1 (एससी): 2009 (9) स्केल 298।**

(2018) 2 एससीसी 519

रसेल ऑन आबिट्रेशन (24 संस्करण 2015, स्वीट एंड मैक्सवेल) पृष्ठ। 82, पैरा 2-103

विशाल शर्मा